improvement in the performance of the corporate sector as reflected in unaudited half-yearly financial results.

Loan From I.M.F.

94. SHRI N.E. BALARAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether India has approached IMF for loan from its Extended Fund Facility (EFF) and the concessional Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) for the year 1994-95;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the existing loans under these facilities from the IMF?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Although preliminary discussions were held with International Monetary Fund (IMF) for availing of financial resources under Extended Fund Facility (EFF) and Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), India has not approached the IMF for assistance under these facilities for the year 1994-95.

(c) India had drawn an amount of SDR 3900 million under Extended Fund Facility (EFF) during 1981 to 1984. Whole of the amount has been repaid except last instalment of SDR 8,333,337 which is due for repayment in April, 1994.

वसूल न किए गए ऋणों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों के घाटे

95. **श्री वीरेन जे० शाह:**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में होने वाले घाटे का प्रमुख कारण बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली न होने के कारण उन ऋणों की राशि को बट्टे खाते में डालना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समय विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों की वसूली न होने से संबंधित लगभग 15 लाख मामले देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन मामलों में लगभग 10,000 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन मामलों में प्रत्येक मामले में अधिकांशतः एक लाख रुपये या उससे अधिक राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और क्या सरकार इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी करने का विचार रखती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों को होने वाली हानियां विभिन्न कारणों से होती हैं। इनमें से प्रमुख ये हैं:—(क) अत्यधिक ऊपरी खर्च, (ख) कारोबार का निम्न स्तर (ग) कम उत्पादकता (घ) निष्क्रिय अग्रिमों की अधिक मात्रा (ङ) उच्च नकदी जमा अनुपात (च) कम ब्याज-भिन्न (अन्य) आय (छ) शाखा के हिन्टर / फीडर क्षेत्रों में (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) कृषि के लिए कम संभावना (ज) छोटे ऋणों की उच्च सेवा और पर्यवेक्षण लागत (झ) स्टाफ के खर्च को नियंत्रित करने में असमर्थता (विशेष रूप से उद्योग स्तर पर निर्धारित किए जाने वाले वेतनमानों आदि को देखते हुए)। इस प्रकार, वसूल न किए गए ऋण की राशि को बट्टे खाते डालना बैंकों की हानियों का प्रमुख कारक नहीं हो सकता। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि बैंक आर्थिक रूप से सक्षम गतिविधियां शुरू करने के लिए ऋण के लिए पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। तथापि, उधार दी गई निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के समस्त प्रणाली एवं प्रक्रिया के बावजूद कतिपय अंशोध्य ऋण राशियां उत्पन्न हो जाती है। बैंक कतिपय अग्रिमों को अशोध्य ऋणों के रूप में केवल तभी बट्टे खाते डालते हैं जब वे इस बात से पूर्णतया संतुष्ट हो जाते हैं कि ये अग्रिम अंततोगत्वा अशोध्य हैं अर्थात वसूली के सभी उपाय समाप्त होने के बाद बट्टे खाते डालते हैं।

(ख) से (च) देश की विभिन्न अदालतों में लम्बिबत विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली न